मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 2 अगस्त, 2005 (श्रावण 11, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पारस जैन, राज्य मंत्री ऊर्जा -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) (क) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2001-2002 (दिनांक 15-4-2001 से 31-3-2002),

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, हरवंश सिंह, राजेश पटेल, सदस्य, संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियां होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुखदेव पांसे, श्रीमती सुनीता बेले, श्री राज वर्धन सिंह, सदस्य, बैतूल जिले के अनेक ग्रामों में खरीफ की फसलों पर कंबल कीड़ों का प्रकोप होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे,

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सातवां, आठवां तथा नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(2) श्री धरमू राय, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का तृतीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम अजीतपुरा से पिढ़ावली तक सड़क बनाये जाने, तथा

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम गढ़ी करहइया से खलौन तक सड़क बनाये जाने,
(ख) बर्धा रोड से खलौन तक सड़क बनाये जाने,
(ग) ग्राम मदनपुरा से धौर्रा तक सड़क बनाये जाने,
(घ) ग्राम मलोही से तिघरा तक सड़क बनाये जाने,
(ङ) सलैहा रोड से खरा तक सड़क बनाये जाने,
(च) ग्राम गिरगिटा में तालाब बनाये जाने,
(छ) ग्राम सुनवानी से सूरजपुरा तक सड़क बनाये जाने,

(ज) ग्राम बुधेड़ा में विद्युत खम्बों पर तार खिचवाये जाने, एवं
(झ) झिलमिला सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय
1 घंटा

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा,राज्यमंत्री,विधि और विधायी कार्य प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 11 सन् 2005) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री हिम्मत कोठारी, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 17सन् 2005) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

शेष 1 घंटा 30मि.

(1) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा (क्रमशः).

2 घंटे

(2) आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 तथा वर्ष 2003-2004 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 1 अगस्त, 2005.